न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 102/19 **निर्णय दिनांकः 26–12–2019**

1. मु. गंगा पत्नी कानाराम जाति कुम्हार निवासी कानासर तहसील व जिला बीकानेर

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 16–04–2015
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 16–04–2015 जिसके द्वारा अपीलांट् का टीसी से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् द्वारा बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील कोलायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जॉच के उपरान्त भूमिहीन के बतौर भूमि आवंटन का पात्र मानते हुए ग्राम कानासर के खसरा नम्बर 317/1 में 18 बीघा 07 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटन पश्चात् अदालत मातहत द्वारा समय–समय पर नवीनीकरण भी किया जाता रहा है। उक्त भूमि उपनिवेशन से राजस्व विभाग में अन्तरित होने पर आरजी काश्त का नवीनीकरण नहीं किया गया, परन्तु वादग्रस्त भूमि अपर आज दिनांक

तक अपीलांट का कब्जा काश्त है। अपीलांट द्वारा अपने कब्जे काश्त के आधार पर अदालत मातहत के समक्ष अपने टीसी आवंटन को पुख्ता किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि है तथा इसी के साथ यह भी अभिलिखित किया गया है कि नगरीय सीमा में पुख्ता आवंटन पर रोक नहीं है। प्रकरण रिव्यू कमेटी में विचार हेतु रखे जाने की अनुशंसा भी उक्त रिपोर्ट में की गई थी। उक्त स्थिति स्पष्ट रूप से अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आने पर भी अदालत मातहत द्वारा बिना रिकार्ड का अवलोकन किये मात्र यह अभिलिखित करते हुए अस्थाई आवंटन भूमि रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। नियमित कब्जा काश्त की रिपोर्ट खुलासा नहीं है। अतः आवंटन सलाहकार समिति की राय से प्रार्थी को अस्थाई आवंटित भूमि ग्राम कानासर के खसरा नम्बर 317/1 में 18 बीघा 07 बिस्वा भूमि नगरीय सीमा आने के कारण निरस्त किया जाता है। जबकि उक्त आदेशिका में ही यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि नगरीय सीमा में पुख्ता आवंटन पर रोक नहीं है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा स्वमेव उनके समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट व रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–04–2015 के विरूद्व अपील दिनांक 19–06–2019 को पेश की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट को आवंटित भूमि नगरीय सीमा में होने के कारण उक्त भूमि का टीसी से पुख्ता आवंटन नहीं किया जा सकता। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–04–2015 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 19–06–2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर उपनिवेशन तहसील कोलायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जॉच के उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट को ग्राम कानासर के खसरा नम्बर 317/1 की 18 बीघा 07 बिस्वा भूमि का टीसी आवंटन अपीलांट के पक्ष में किया गया था, तथा समय–समय पर उक्त आवंटन का नवीनीकरण भी अदालत मातहत द्वारा किया जाता रहा है।

प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में आराजीराज होने का प्रश्न है, चूंकि वादग्रस्त भूमि पूर्व में उपनिवेशन विभाग में दर्ज थी, वादग्रस्त भूमि उपनिवेशन से राजस्व विभाग में दर्ज होने पर उक्त भूमि को आराजीराज दर्ज रिकार्ड किया गया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को टीसी में आवंटित थी। चूंकि उक्त भूमि राजस्व विभाग में दर्ज होने पर नवीनीकरण बन्द होने पर अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के टीसी से पुख्ता आवंटन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार रिपोर्ट ली गई। उक्त रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि कानाराम पुत्र फूसाराम जाति कुम्हार को खेत खसरा नम्बर 317/1 में 18 बीघा 07 बिस्वा भूमि बतौर टीसी आवंटन है, जिसका नवीनीकरण संवत् 2036 तक हुआ तथा वर्तमान में भूमि रकबाराज है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। रकबा निर्विवाद है। इसी के साथ अदालत मातहत की आदेशिका में यह भी अभिलिखित है कि नगरीय सीमा में पुख्ता आवंटन पर रोक नहीं है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के बाबत् तमाम सबूत व तथ्य अपीलांट के पक्ष में साबित होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपीलांट का टीसी से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र नगरीय सीमा आने के कारण खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—04—2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्राप्त रिपोर्टस के आधार पर पुनः विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26—12—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.01.06 17:37:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: